निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-38/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-**III,** वा0क0 ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-**III,** वा0क0 ऋषिकेश के माह 04/14 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.06.17 से 27.06.17 तक श्री एन0के0 सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक रावत (ले0प0), श्री पी0के0गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एन0के0श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.15 से 20.03.15 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/14 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/14 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – शून्य
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	954.43
2015-16	1148.73
2016-17	1884.45

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय `	अभ्यर्पित राशि
	लागू नहीं		

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन .... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -- ----श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण, ऋषिकेश को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड-**III,** वा0क0 ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....03/15,03/16,03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 सिविल संविदाकार द्वारा प्रान्त बाहर से लाये गये मशीन के विक्रय पर कर के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ₹ 5.99 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड-III, वा0क0 ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री रघुवीर सिंह सजवान धनसाली टी0ग0 (संविदाकार) कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के वाद मे व्यौहारी द्वारा संविदा हेतु प्रान्त बाहर से ₹4440000/- की मशीन का आयात किया गया था।

व्यौहारी के संगत वर्ष की पत्रावली के आगे लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि उक्त मशीन का व्यौहारी के पास विद्यमान होने के संबंध मे कोई साक्ष्य यथा बैलेन्स शीट उपलब्ध नही थी जिसके अभाव मे ₹ 4440000/- की मशीनरी को बिक्री मानते हुए उस पर 13.5% की दर से ₹ 599400/- का कर आरोपणीय था जो नही किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच किये जाने का आसवाशन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण शासन/विभाग के संज्ञान मे सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया।

राजस्व की लेखापरीक्षा

भाग-2 'क'

प्रस्तर-01 कर का न्यूनारोपण ₹6.37 लाख

(1) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड-III, वा0क0 वा0क0 ऋषिकेश के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री रावत कन्सट्रक्शन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के वाद मे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी द्वारा घोषित खरीद बिक्री के आकड़ों को मान्यता प्रदान करते हुये संगत वर्ष मे ₹ 6403279/- के स्टोन डस्ट की बिक्री पर 4.5% की दर से करारोपण किया गया था।

व्यौहारी के संगत वर्ष की पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष मे वास्तव मे स्टोन डस्ट की बिक्री न कर वायर क्रेट की बिक्री की गयी थी जैसा कि व्योहारी द्वारा प्रस्तुत सावधिक विवरणियों एवं वार्षिक विवरणी मे अंकित था।

इस प्रकार व्यौहारी द्वारा घोषित गलत बिक्री को मान्यता प्रदान किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर 9% के अन्तरीय दर पर ₹ 6403279/- के वायर क्रेट की बिक्री पर ₹576295/- के कर का न्यूनारोपण हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन/विभाग के संज्ञान मे लाया गया।

(2) कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खण्ड-III, वा0क0 ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री जोशी ट्रेडर्स, मैन मार्केट चम्बा, कर निर्धारण वर्ष 2010-11 द्वारा संगत वर्ष मे ₹ 679313/- के चाकलेट/मिनरल वाटर की बिक्री की गयी थी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4.5% की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था।

इस प्रकार ₹ 679313/- के चाकलेट/मिनरल वाटर की बिक्री पर 9% के अन्तरीय दर से व्यौहारी के विरुद्ध ₹ 61138/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच किये जाने का आश्वासन दिया गया, जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
07/2011-12	-	1
31/2012-13	-	1,2
50/2014-15	1,2	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)खण्ड-III, वा0क0 ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह	असि0 कमि0
(ii)	श्रीमती पल्लवी चुफाल	असि0 कमि0
(iii)	श्रीमती अंजु सोमवाल	वाणिज्य कर अधिकारी
(iv)	श्री वि0के0 चन्दोला	वाणिज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)खण्ड-III, वा0क0 ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र